सं. 117012-3/2020-मा.
भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

कृषि भवन , नई दिल्ली
दिनांक 12 दिसंबर, 2022

सेवा में
सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य संबंधित संगठनों (अनुबंध-I की सूची के अनुसार) के मत्स्यपालन विभाग के विशेष मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/प्रभारी सचिव

विषयः-"प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) - भारत में मात्स्यिकी क्षेत्र के स्थायी और जिम्मेदार विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाने की योजना" के परिचालन दिशानिर्देशों में संशोधन/रिवीजन

महोदय/महोदया,

मुझे उपर्युक्त विषय का संदर्भ लेने और यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि यह विभाग सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों (संघों) में वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए 20050 करोड़ रुपये के कुल निवेश पर एक प्रमुख योजना "प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)- भारत में मात्स्यिकी क्षेत्र के स्थायी और जिम्मेदार विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाने की योजना" लागू कर रहा है। पीएमएमएसवाई की प्रशासनिक स्वीकृति और विस्तृत परिचालन दिशानिर्देश क्रमशः 12.6.2020 और 24 जून, 2020 को जारी किए गए हैं । उक्त परिचालन दिशानिर्देशों में कतिपय संशोधन 6 नवंबर, 2021 को भी जारी किए गए हैं। इस विभाग के दिनांक 24 जून, 2020 के समसंख्यक पत्र द्वारा जारी परिचालन दिशानिर्देश इस विभाग की वेबसाइट ***(http://www.pmmsy.dof.gov.in)* और *(http://www.dof.gov.in)*** पर भी अपलोड किए गए हैं।

2. यह भी सूचित किया जाता है कि पीएमएमएसवाई अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान करती है कि मत्स्यपालन विभाग (डीओएफ) पीएमएमएसवाई के कार्यान्वयन के दौरान क्षेत्रीय आवश्यकताओं और अंतिम कार्यान्वयन एजेंसियों (ई.आई.ए) से प्रतिक्रिया/मांगों के आधार पर पीएमएमएसवाई के व्यापक ढांचे के भीतर परिचालन संबंधी दिशानिर्देशों में आवश्यक संशोधन भी करेगा। उपर्युक्त उल्लिखित प्रावधानों के अनुसरण में और कई राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किए गए अनुरोधों के आधार पर, पीएमएमएसवाई के परिचालन दिशानिर्देशों में निम्नलिखित रिविजन/संशोधनों के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन एतत्द्वारा संप्रेषित किया जाता है:

(i) जलाशयों में केजों के आकार (शेप) एवं आयाम (डाईमेंशन) में संशोधन तथा केजों की इकाई मात्रा(यूनिट वाल्यूम) के आधार पर जलाशयों में केजों की स्थापना हेतु सरकारी सहायता प्रदान करना।

(ii) सागर मित्र की नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता में छूट एवं पारिश्रमिक में कर और एजेंसी शुल्क और अन्य नियम और शर्त शामिल करना ।

(iii) पीएमएमएसवाई के तहत बड़े री-सर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम के लिए सब्सिडी पैटर्न में संशोधन ।

(iv) प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के केंद्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएस) घटक में "एकीकृत आधुनिक तटीय मत्स्यन गांवों" (आईएमसीएफवी) की गतिविधि के तहत "आर्टिफीशियल रीफ और सी रेंचिंग के माध्यम से स्थायी मात्स्यिकी और आजीविका को बढ़ावा" नामक उप गतिविधि को शामिल करना।

3. पीएमएमएसवाई के परिचालन दिशानिर्देशों में उपर्युक्त रिविजन/संशोधनों का विवरण इस पत्र के **अनुबंध** में दिया गया है।

4. राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि पीएमएमएसवाई की गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए उपर्युक्त उल्लिखित रिवीजन/संशोधनों को अपनाएं ।

5. इसे इस मंत्रालय के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

भवदीय

(शंकर एल)
संयुक्त आयुक्त (मात्स्यिकी)
टेलीः 011-23389212

अनुलग्नक : यथोक्त

1. **आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिलिपि :** सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मात्स्यिकी आयुक्त/निदेशक (अनुबंध-I की सूची के अनुसार)।

अनुबंध-I

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के कार्यान्वयन से जुड़े सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के मत्स्यपालन विभाग के प्रभारी सचिवों और अन्य संगठनों/हितधारकों की सूची

1. एकीकृत वित्त प्रभाग, मत्स्यपालन विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (एमओएएफडब्ल्यू), कृषि भवन , नई दिल्ली
2. प्रधान लेखा अधिकारी, मत्स्यपालन विभाग, एमओएएफडब्ल्यू, 16ए अकबर रोड हटमेंट्स, नई दिल्ली
3. वेतन एवं लेखा अधिकारी, मत्स्यपालन विभाग, एमओएएफडब्ल्यू, कृषि भवन , नई दिल्ली
4. मुख्य कार्यकारी, राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी), मत्स्य भवन, स्तंभ संख्या 235 के पास, पीवीएनआर एक्सप्रेस वे, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी पोस्ट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद -500 052
5. प्रधान सचिव, केरल सरकार, मत्स्यपालन विभाग, सचिवालय, तिरुवनंतपुरम-695001 (फैक्स: 0471-2333115) (ईमेल: prlsecy@lsg.kerala.gov.in)
6. विशेष मुख्य सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार, पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्यपालन विभाग, चौथा ब्लॉक, भूतल, एपी सचिवालय, वेलागापुडी , अमरावती -522503 (ईमेल: prlsecy_ahf@ap.gov.in)
7. सचिव, कर्नाटक सरकार, पशुपालन और मत्स्यपालन विभाग, सचिवालय, चौथी मंजिल, विकास सौधा , डॉ. बी.आर. अम्बेडकर वीधी , बैंगलोर- 560 001 (फैक्स नंबर 080- 22253734) (ईमेल: dof_blr_ka@nic.in)
8. सचिव-सह-आयुक्त, ओडिशा सरकार, मत्स्यपालन और एआर विभाग, भुवनेश्वर 751 001 (फैक्स नंबर 0674-2390681) (ईमेल: itsec@ori.nic.in)
9. सचिव, तमिलनाडु सरकार, पशुपालन और मत्स्यपालन विभाग, सचिवालय, चेन्नई- 600 009 (फैक्स नंबर 044-25672937) (ईमेल: ahsecy@tn.gov.in)
10. सचिव, कृषि, सहकारिता एवं मत्स्यपालन विभाग, 7, सरदार भवन , छठा तल, नया सचिवालय परिसर, गुजरात सरकार, गांधीनगर-382 010 (फैक्स नं. 079-23252480)। (ईमेल: seccpd@gujarat.gov.in)
11. सचिव, महाराष्ट्र सरकार, कृषि पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्यपालन विभाग,, मंत्रालय एनेक्सी,मुंबई- 400 030 (फैक्स नंबर 022-22026139) (ईमेल: secy.adf@maharashtra.gov.in)
12. सचिव, मत्स्यपालन विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार, बेनफिश टॉवर ("सातवीं और आठवीं मंजिल"), 31-जीएन ब्लॉक, सेक्टर-वी, साल्ट लेक, कोलकाता-700091 (ई-मेल:dsfisheries@gmail.com)
13. विशेष मुख्य सचिव, तेलंगाना सरकार, तेलंगाना सचिवालय, हैदराबाद- 500001 (ईमेल: prlsecyahddf@gmail.com)।
14. सचिव (मात्स्यिकी), पुडुचेरी सरकार, मुख्य सचिवालय, गौबर्ट एवेन्यू, पांडिचेरी-605 001 (फैक्स नंबर 0413-2334036) (ईमेल: dhte.pon@nic.in)
15. सचिव (मात्स्यिकी), अंडमान और निकोबार प्रशासन, पोर्ट ब्लेयर -744 101 (फैक्स: 03192-232479) (ईमेल:
16. सचिव (मात्स्यिकी), गोवा सरकार, सचिवालय, पोरवोरिम , पणजी - 403 521 (गोवा) (फैक्स नंबर 0832-2419687) (ईमेल: neeraj.semwal@nic.in)
17. सचिव (मात्स्यिकी), केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का प्रशासन, मत्स्यपालन विभाग, अगत्ती द्वीप-682 555 (फैक्स नंबर 04896-263896/262184)
18. सचिव (मात्स्यिकी), दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र, और दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र, सचिवालय, मोती दमन -396 220 (फैक्स 0260-2230383) (ईमेल: कलेक्टर- dnh@nic.in)
19. प्रधान सचिव (मात्स्यिकी), असम सरकार चौथी मंजिल, ब्लॉक-बी, असम सचिवालय, दिसपुर, गुवाहाटी-781 006 (फैक्स:- 0361-2545104) (ईमेल : narzaryhemanta@gmail.com)
20. प्रधान सचिव और एपीसी (मात्स्यिकी), छत्तीसगढ़ सरकार, रायपुर-492 001 फैक्स:- 0771-2443067/2221216 (ईमेल:

21. आयुक्त सह सचिव (मात्स्यिकी), अरुणाचल प्रदेश सरकार, न्यू ईटानगर - 791 111 (फैक्स: - 0360-2212719)
22. सचिव (मात्स्यिकी), पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार सरकार, नवीन सचिवालय, विकास भवन , पटना - 800 015 (फैक्स:- 0612-2217010) (ईमेल: ahd-bih@nic.in)
23. प्रधान सचिव (मात्स्यिकी), हरियाणा सरकार, नया सचिवालय सेक्टर-17, कमरा नंबर-102, चंडीगढ़-160017 (हरियाणा) फैक्स:- 0172-2700803 (ईमेल: fisheries.haryana@gmail.com)
24. सचिव (मात्स्यिकी), संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़, चंडीगढ़-160017
25. अतिरिक्त मुख्य सचिव (मात्स्यिकी), कृषि और मत्स्यपालन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला - 171 002. टेलीफैक्स: - 0177-2621894, 2622382 (ईमेल: agrisecy-hp@nic.in)
26. अतिरिक्त मुख्य सचिव (मात्स्यिकी), पशुपालन और डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, नेपाल हाउस, पोस्ट डोरंडा , झारखंड सरकार, रांची - 834002, फैक्स: - 0651-2480747 (ईमेल: ahdjharkhand@gmail.com)
27. आयुक्त सह सचिव (मात्स्यिकी), जम्मू और कश्मीर सरकार, सचिवालय जम्मू और कश्मीर, सिविल सचिवालय, जम्मू-180001 (फैक्स: -0191-2546793) (ईमेल: ejaziqbal11@gmail.com)
28. प्रधान सचिव (मत्स्य पालन), मछुआरा कल्याण, मध्य प्रदेश सरकार, कमरा नंबर-311, तीसरा तल, भोपाल मंत्रालय, मध्य प्रदेश- 462 016 (फैक्स:- 0755- 2767569, 2512118/2551357) (ईमेल: dirfish@mp .nic.in)
29. सचिव (मात्स्यिकी), मणिपुर सरकार, इम्फाल - 795 001 (फैक्स: - 0385-2452629) (ईमेल:
30. सचिव (मात्स्यिकी), मेघालय सरकार, शिलांग - 793 003 (फैक्स: - 0364-2220202) (ईमेल: ncve@rediffmail.com)
31. सचिव (मात्स्यिकी), नागालैंड सरकार, नया सचिवालय परिसर, कोहिमा - 797 001, फैक्स: - 2224473 (ईमेल: odyuowobeni@gmail.com)
32. प्रधान सचिव, पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी विकास विभाग, पंजाब सरकार, कमरा 527, पंजाब सिविल सचिवालय- II, सेक्टर -9, चंडीगढ़ -160009 (फैक्स:- 0172-2745071) (ईमेल:
33. आयुक्त-सह-सचिव (मात्स्यिकी), पशुपालन विभाग, सिक्किम सरकार, ताडोंग , गंगटोक - 737102 फोन :- 03592- 231876 (ई- मेल : **dpsharma29@gmail.com)**
34. सचिव (मात्स्यिकी), मिजोरम सरकार , आइजोल - 796 001 (फैक्स: - 0389-2325749
35. प्रधान सचिव (मात्स्यिकी), राजस्थान सरकार, सचिवालय राजस्थान, जयपुर - 302 005 (टेलीफैक्स-0141-227132/ 2227663) (ईमेल: secy_ah@rajasthan.gov.in)
36. सचिव (मात्स्यिकी), त्रिपुरा सरकार, अगरतला - 799 001 (फैक्स: - 0381-2226294) (ईमेल: tripurafisheries@rediffmail.com)
37. प्रधान सचिव (मात्स्यिकी), उत्तर प्रदेश सरकार, सचिवालय , लखनऊ - 226 001 (फैक्स:- 0522-2236812) (ईमेल: srivastavacpl53@yahoo.com)
38. सचिव (मात्स्यिकी), उत्तरांचल सरकार, नॉर्थ बिल्डिंग, फोरशोर रोड, देहरादून-248 001 (फैक्स:- 0135- 2712803) (ईमेल: rcpathak04@gmail.com)
39. सचिव (मात्स्यिकी), दादर नगर हवेली सरकार, सिलवासा - 396 230
40. सचिव (मात्स्यिकी), दिल्ली सरकार, सचिवालय, नई दिल्ली
41. निदेशक (मात्स्यिकी), असम सरकार , मीन भवन , उलुबरी , गुवाहाटी- 781 016 (टेलीफैक्स: - 03612545104) (ईमेल: assamfishery@gmail.com/assam_fishery@rediffmail.com)
42. निदेशक (मात्स्यिकी), छत्तीसगढ़ सरकार, दाऊ कल्याण सिंह भवन , रायपुर - 492 006, (फैक्स:- 0771-2443067) (ईमेल: dirfishery.cg@nic.in)
43. निदेशक (मात्स्यिकी), अरुणाचल प्रदेश सरकार, न्यू ईटानगर - 791 111 (टेलीफैक्स: - 0360-2212515) (ईमेल: debangsu28@yahoo.in)
44. निदेशक (मात्स्यिकी), बिहार सरकार, कैंटीन टैंक, पुराना सचिवालय, पटना - 800001 (फैक्स: -0612-2210819) (ईमेल (directorfisheries-bih@nic.in , fd63_nishad@hotmail.com)
45. निदेशक (मात्स्यिकी), हरियाणा सरकार, एससीओ - 6, सेक्टर - 16, पंचकुला - 160 022 (फैक्स: - 0172-2577491) (ईमेल: fisheries.haryana@gmail.com)

46. मात्स्यिकी निदेशक-सह-वार्डन (प्रबंधक), हिमाचल प्रदेश सरकार, मत्स्य भवन , बिलासपुर - 174 001 (फैक्स:- 01978-224068) (ईमेल: dirhpfish@rediffmail.com)
47. निदेशक (मात्स्यिकी), झारखंड सरकार, डोरंडा , रांची - 834 002 (टेलीफैक्स: - 0651-2480747) (ईमेल: directorfisheriesjhar@rediffmail.com)
48. निदेशक (मात्स्यिकी), जम्मू और कश्मीर सरकार, नेहरू पार्क, पुलिस स्टेशन के पास, श्रीनगर -180 016 (फैक्स: - 0191- 2548116) (ईमेल: krmfisheries@yahoo.com)
49. निदेशक (मात्स्यिकी), मध्य प्रदेश सरकार, विंध्याचल भवन , भोपाल - 462 011 फैक्स: - 0755-2551357/2550788/2767569 (ईमेल: dirfishnmp.nic.in)
50. निदेशक (मात्स्यिकी), मणिपुर सरकार, इंफाल - 795 001 (फैक्स: - 0385-2222629) (ईमेल: directorfy@yahoo.com)
51. निदेशक (मात्स्यिकी), मेघालय सरकार, रीसा कॉलोनी, शिलांग - 793 008 (टेलीफैक्स: - 0364-2220201/ 2520321) (ईमेल:)
52. निदेशक (मात्स्यिकी), नागालैंड सरकार, आईजी स्टेडियम रोड, एनएच -61, पीबी संख्या - 504, कोहिमा - 797 001 (फैक्स: - 0370-2224473) (ईमेल:
53. निदेशक (मात्स्यिकी), सरकार पंजाब, एससीओ नंबर 1040-41, सेक्टर -22, चंडीगढ़ - 160 001 (टेलीफैक्स: - 0172-2705827/ 2541827) (ईमेल: dwfpunjab@gmail.com)
54. निदेशक (मात्स्यिकी), सिक्किम सरकार, गंगटोक - 737 101 (फैक्स: - 03592-270921/202993) (ईमेल: director_agri@yahoo.com.in)
55. निदेशक (मात्स्यिकी), मिजोरम सरकार, आइजोल - 796 001 (फैक्स:- 0389-2325749) (ईमेल: daziaizawl@gmail.com)
56. निदेशक (मात्स्यिकी), राजस्थान सरकार पशुधन भवन , टोंक रोड, जयपुर - 302 005 (फैक्स: - 0141-2743347/330) (ईमेल: dffishraj@rediffmail.com)
57. निदेशक (मात्स्यिकी), त्रिपुरा सरकार, गोरखाबस्ती , अगरतला - 799 001 (टेलीफैक्स: - 0381-2226294 (ईमेल: directorfishtripura@yahoo.in)
58. निदेशक (मात्स्यिकी), उत्तर प्रदेश सरकार, 7, फैजाबाद रोड, लखनऊ - 2260007 (फैक्स: - 0522-2740483) (ईमेल: fisheries.mpr@gmail.com)
59. मात्स्यिकी आयुक्त, तेलंगाना सरकार, मत्स्य भवन , मसाब टैंक, शांतिनगर , हैदराबाद- 500028) (ईमेल: dtelangana@gmail.com)
60. निदेशक (मात्स्यिकी), उत्तराखंड सरकार, बादसी ग्रांट धान्यदी , रायपुर, देहरादून - 248 001 (उत्तराखंड) (फैक्स: - 0135-2712919/ 2107303/2115174) (ई- मेल : purohithk1287@gmail.com)
61. निदेशक मात्स्यिकी, उड़ीसा सरकार, ड्राई डॉक, जोबरा , कटक - 753007 (फैक्स: 0671 - 2414739)। (ईमेल: director.odifish@gmail.com)
62. मात्स्यिकी निदेशक, मत्स्यपालन विभाग, कर्नाटक सरकार, नंबर 3, पोडियम ब्लॉक, विश्वेश्वरैया केंद्र, डॉ.बीआर । अम्बेडकर विधि , बैंगलोर - 560001 (फैक्स नंबर 080-22864619) (ईमेल: dfkarnataka@rediffmail.com)
63. मात्स्यिकी आयुक्त, गुजरात सरकार, डॉ. जीवराज मेहता भवन , ब्लॉक नंबर 10, तीसरी मंजिल, गांधी नगर - 382010 (फैक्स नंबर 079-23253730)। (ईमेल: commi-fisheries@gujarat.gov.in)
64. मात्स्यिकी आयुक्त, तमिलनाडु सरकार, पशुपालन और मत्स्यपालन विभाग अन्ना सलाई के लिए, मात्स्यिकी विभाग एकीकृत कार्यालय परिसर, नंदनम , चेन्नई - 600 035 ।
65. मात्स्यिकी आयुक्त, आंध्र प्रदेश सरकार, पोरंकी , बंदर रोड, विजयवाड़ा -521137 (ईमेल: comfishap@gmail.com)
66. निदेशक मात्स्यिकी, मत्स्यपालन विभाग , पांडिचेरी सरकार, बॉटनिकल गार्डन परिसर, पुडुचेरी-605001 (फैक्स: 0413-2220614)। (ईमेल: secyrev.pon@nic.in)
67. निदेशक मात्स्यिकी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर-744101 (फैक्स नंबर 03192-231474) (ईमेल: dirfish.and@nic.in)
68. निदेशक मात्स्यिकी और संयुक्त सचिव (मत्स्य), गोवा सरकार, दयानंद बंदोदकर मार्ग, पणजी- 403 001 (फैक्स: 0832-2224660/ 2227780) (ईमेल: dir_ fish.goa@nic.in)

69. निदेशक मात्स्यिकी, केरल सरकार, मत्स्य निदेशालय, विकास भवन , तिरुवनंतपुरम -695 035 (फैक्स: 0471-2303160)। (ईमेल: fisheriesdirector@gmail.com/ ddfmarinehq@gmail.com)

70. निदेशक मात्स्यिकी, पश्चिम बंगाल सरकार, 31, जीएन ब्लॉक, सेक्टर -5, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता - 700 091 (फोन: 033-23576416, 033-23577783) (ईमेल: dfwb_kol@hotmail.com

71. निदेशक मात्स्यिकी , लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन, मत्स्यपालन विभाग, कवारत्ती द्वीप, कवारत्ती - 682 555. (ईमेल: lk-dof@nic.in)

72. निदेशक मात्स्यिकी, मत्स्यपालन विभाग, केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव, सिलवासा (फैक्स नंबर 0260-2230689) (ईमेल: fish-daman-dd@nic.in)

73. मात्स्यिकी आयुक्त, महाराष्ट्र सरकार, तारापुरवाला एक्वेरियम, नेताजी सुभाष रोड, चर्नी रोड, मुंबई - 400 002 (फैक्स नंबर 022 - 22822312)। (ईमेल: commfishmaha@gmail.com)

74. सचिव (मात्स्यिकी), बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद, योजना एवं विकास, जलीय कृषि, पशुपालन, कोराझार (फैक्स नंबर: 0361-2611952)

75. नोडल अधिकारी, बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद, केंद्र सरकार की परियोजनाएं, योजना और विकास, जलीय कृषि, पशुपालन, कोराझार (फैक्स नंबर: 0361-2611952)

76. डीएडीएफ के चार मात्स्यिकी संस्थान (एफएसआई, मुंबई, सिफनेट, कोच्चि, निफाट, कोच्चि, सीआईएसएफ, बेंगलुरु और सीएए, चेन्नई)

77. अध्यक्ष, मेजर पोर्ट ट्रस्ट (चेन्नई, मुंबई, कोच्चि, विशाखापत्तनम, पारादीप और कोलकाता)

*****

सं. 117012-3/2020-मा.
भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

<u>अनुलग्नक</u>

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) की मौजूदा गतिविधियों/उप-गतिविधियों का रिवीजन और परिचालन दिशानिर्देशों में संशोधन

परिचालन दिशानिर्देशों का रिवीजन/संशोधन

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के परिचालन दिशानिर्देशों में निम्नलिखित रिवीजन/संशोधन अनुमोदित किए गए हैं।

1. **जलाशयों में केज के माप एवं आकार में संशोधन तथा केज की इकाई मात्रा (यूनिट वाल्यूम) के आधार पर जलाशयों में केज की स्थापना हेतु सरकारी सहायता प्रदान करना।**

1.1 पीएमएमएसवाई के तहत जलाशयों में केज की स्थापना सहायता प्राप्त गतिविधियों में से एक है और पीएमएमएसवाई के तहत सरकारी सहायता के लिए इसकी इकाई लागत प्रति केज 3 लाख रुपये निर्धारित की गई है। पीएमएमएसवाई के तहत केज की स्थापना के लिए विभिन्न लाभार्थियों को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:

"सरकारी सहायता की सीमा निम्नलिखित अनुसार होगीः- (क) प्रति लाभार्थी के लिए अधिकतम 18 केज की सीमा है (ख) मछुआरों और मत्स्य किसानों के समूह यानी मछुआरा स्वयं सहायता समूह / संयुक्त देयता समूह (जाइन्ट लायेबिलिटी ग्रुप्स) (जेएलजी) / मछुआरा सहकारी समितियां आदि या जो क्लस्टर / क्षेत्र आधार पर हैं के मामले में केज की संख्या के लिए सरकारी सहायता 6 x समूह के सदस्यों की संख्या, और केजों की उच्चतम सीमा प्रति समूह 72 तक होगी।"

1.2 हालांकि पीएमएमएसवाई के परिचालन दिशानिर्देशों में सहायता प्रदान करने के लिए केज की ज्यामिति (ज्योमेट्री) आकार के संबंध में कोई विशेष उल्लेख नहीं किया गया था सामान्य रूप से स्वीकृत केज जीआई फ्रेम/एचडीपीई फ्रेम से बना आयताकार 6मी.(लम्बा) x 4मी.(चौड़ा)x 4मी.(गहरा) आकार का रहा है, जैसा कि नीली क्रांति योजना से अपनाया गया।

1.3 कई राज्य सरकारों ने विशेष रूप से ओडिशा सरकार ने मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार से अनुमोदित इकाई लागत में जलाशयों में आयताकार केज के बजाय गोलाकार केज की स्थापना की अनुमति देने का अनुरोध किया है, क्योंकि गोलाकार केज स्वस्थ मत्स्य वृद्धी में अधिक लाभदायक हैं, उच्च मत्स्य उत्पादन, इष्टतम इनपुट के उपयोग, विभिन्न व्यावसायिक प्रजातियों की खेती की व्यवहार्यता जैसे कि इंडियन मेजर कार्प्स प्रजाति विविधीकरण में सहायक है। इसके अलावा यह भी बताया गया कि आयताकार केज मुख्य रूप से पंगेसियस कल्चर के लिए उपयुक्त है।

1.4 प्रस्ताव पर मत्स्यपालन विभाग में विचार किया गया है और केंद्रीय सर्वोच्च समिति (सेंट्रल एपेक्स कमिटी) (सीएसी) की सिफारिशों के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि पीएमएमएसवाई परिचालन दिशानिर्देशों के प्रासंगिक भाग के अनुबंध- II के क्रम संख्या 5.5 (क) में संशोधन किया जाए जिसमें केज की संख्या के बजाय **केज की इकाई मात्रा (यूनिट वाल्यूम) के आधार** पर जलाशयों में केज की स्थापना के लिए सरकारी सहायता प्रदान करने के संबंध में दिशानिर्देश नीचे दिए गए हैं:

क्र सं	**अवयव**	**प्रति घन मीटर (क्यूबिक मीटर) इकाई लागत**	**जलाशय केज कल्चर के अन्तर्गत सामग्रियां**
(i)	**(ii)**	**(iii)**	**(iv)**
1.	पूंजी लागत	1500 रु./क्यूबिक मी.	• सामग्री: एचडीपीई / जीआई फ्रेम • आवश्यक फिटिंग और फिक्स्चर के साथ उपयुक्त व्यास का एचडीपीई/जीआई केज फ्रेम। • एक्सेसरीज और फिक्स्चर के साथ एचडीपीई केज नेट। • मूरिंग सिस्टम (उपयुक्त गुणवत्ता और डायमीटर, एंकर, मार्कर ब्यूय, कंक्रीट ब्लॉक, एङ्का रस्सियों आदि के मूरिंग एङ्का रस्सियाँ)। • आवश्यकतानुसार नायलॉन गाँठ रहित जाल। • आवश्यकतानुसार आवश्यक रिंग के साथ पीपी रस्सी। • केज की स्थापना के लिए आवश्यक अन्य सभी सामान और फिक्स्चर। • उचित एंकरेज प्रणाली के साथ फ्लॉटिंग स्टोर हाउस, सौर बिजली, फ्लोटिंग राफ्ट और लाइफ जैकेट आदि (सामग्री, फेब्रिकेशन और स्थापना लागत)। • उपयुक्त एचपी के आउटबोर्ड इंजन के साथ उपयुक्त आकार की एक नाव। • परियोजना कर्मियों के लिए भंडारण और विश्राम के लिए तट पर कमरा। • केज की स्थापना और संचालन के लिए आवश्यक अन्य सामान। • कॉलम (iii) में की गई इकाई लागत में सभी स्वीकार्य कर और सांविधिक व्यय शामिल हैं।
(ii)	परिचालन लागत	1500 रु./क्यूबिक मी.	• फिश फिंगरलिंग (50 ग्राम से कम आकार की नहीं)। • 6 महीने की कल्चर अवधि के क्रॉप के लिए फीड • 6 महीने के लिए केज के रखरखाव की लागत। • दवा और मेडिकल किट के साथ, जैसा कि आवश्यक हो। • श्रम, हार्वेस्ट और भूमि पर पोस्ट-हार्वेस्ट सुविधाएं, प्रबंधन और प्रसंस्करण। • केज कल्चर परिसर की नियमित सफाई और रखरखाव की लागत। • प्रबंधन और प्रशासनिक लागत। • कॉलम (iii) में की गई इकाई लागत में सभी स्वीकार्य कर और सांविधिक व्यय शामिल हैं।
	कुल	**3000 रु./क्यूबिक मी.**	

1.5 तदनुसार केज की मात्रा (वाल्यूम ऑफ केजस) के आधार पर जलाशय केज के लिए सरकारी सहायता की स्वीकार्यता में संशोधन निम्नानुसार जारी किया जाता है:

"सरकारी सहायता की सीमा निम्नलिखित अनुसार होगीः- (i) प्रति लाभार्थी अधिकतम 1800 क्यूबिक मीटर (क्यू. मी.) और (ii) मछुआरों और मत्स्य किसानों के समूह यानी मछुआरा स्वयं सहायता समूह / संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) (जाइन्ट लायेबिलिटी ग्रुप्स)/ मछुआरा सहकारी समितियों आदि अथवा जो क्लस्टर/क्षेत्र आधार पर है के मामले में, सरकारी सहायता के लिए केज की मात्रा समूह के सदस्यों की संख्या x 600 क्यूबिक मीटर होगी, प्रति समूह के लिए सीमा 7200 क्यूबिक मीटर केज तक होगी । इसके अलावा, प्रति क्यूबिक मीटर वॉल्यूम केज इकाई दर 3000 रुपये से अधिक नहीं होगी।"

1.6 अनुमोदित अन्य नियम और शर्तें नीचे दी गई हैं:

1.6.1 सरकारी सहायता के लिए केज का वाल्यूम 100 क्यूबिक मीटर से कम नहीं होना चाहिए, चाहे उसका आकार कुछ भी हो।

1.6.2 पीएमएमएसवाई के तहत सरकारी सहायता के लिए उपरोक्त पैरा 1.4 तालिका में दर्शाया गया वाल्यूम केज का कुल आंतरिक वाल्यूम होगा (केज के आंतरिक आयामों के माप के आधार पर परिकलित)।

1.6.3 उपरोक्त पैरा-1.4 की तालिका में दी गई प्रति क्यूबिक मीटर इकाई लागत उच्चतम सीमा है। इकाई लागत में केज कल्चर परियोजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कर और सांविधिक व्यय, यदि कोई हो, भी शामिल है।

1.6.4 इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि केज की लागत प्रयुक्त सामग्री के प्रकार और गुणवत्ता, केज के माप और आकार, परियोजना स्थान (दूरस्थता और कठिन भूभाग) आदि को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग होगी, यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकारें/केंद्र शासित प्रदेश और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियां प्रति क्यूबिक मीटर लागत की सीमा और ऊपर पैरा-1.5 में उल्लिखित अधिकतम वाल्यूम की सीमा के अधीन आवश्यक वाउचर/आपूर्तिकर्ता बिलों के आधार पर केज की वास्तविक लागत के आधार पर लाभार्थियों को सरकारी सहायता स्वीकृत करेगी।

1.6.5 लाभार्थी सहायक रसीदों/वाउचर/आपूर्तिकर्ता बिल आदि के साथ पूंजी और परिचालन व्यय का उचित रिकॉर्ड रखेगा, और पीएमएमएसवाई के तहत सरकारी सहायता का आकलन करने और जारी करने के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेश/अन्य कार्यान्वयन/वित्त पोषण एजेंसियों को प्रस्तुत करेगा।

1.6.6 यदि लाभार्थी उपरोक्त पैरा-1.4 में निर्धारित सीमा से अधिक वाल्यूम में केज का निर्माण करना चाहता है, तो वह ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है तथापि, सरकारी सहायता उपरोक्तानुसार निर्धारित सीमा के अधीन होगी और वास्तविक लागत पर आधारित होगी।

1.6.7 लाभार्थी उपरोक्त पैरा-1.4 की तालिका में दर्शाई गई विस्तृत निर्धारणों/सामग्रियों के ध्यानार्थ स्थानीय आवश्यकताओं, पर्यावरणीय परिस्थितियों आदि के अनुरूप केज के किसी भी आकार (आयताकार, गोलाकार वर्ग आदि) को चुनने के लिए स्वतंत्र हैं।

1.6.8 पीएमएमएसवाई के तहत सहायता प्रदान किए गए केज की ऊंचाई सामान्य परिस्थितियों में 4 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए और झील/जलाशय के तल से कम से कम 2 मीटर की दूरी पर हो। लाभार्थी अधिक ऊंचाई वाले केज स्थापित करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन सरकारी सहायता के आकलन के लिए केज की अधिकतम ऊंचाई 4 मीटर तक सीमित रहेगी।

1.6.9 केज की ऊंचाई 4 मीटर से कम और झील/जलाशय तल से न्यूनतम 2 मीटर से कम की दूरी की अनुमति केवल ऐसे मामलों में दी जाती है जहां जलाशय जल निकायों में 6 मीटर की वांछित गहराई नहीं है और जहां कोई अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं है। ऐसे परिदृश्य में संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियां पीएमएमएसवाई के तहत ऐसे उथले पानी के केज को अनुमति देने से पहले ऊपर बताए गए पहलुओं और अन्य पर्यावरणीय पहलुओं का विश्लेषण करेंगी ।

1.6.10 जैसा कि ऊपर उल्लिखित है, उपर्युक्त संशोधित दिशा-निर्देश निम्नलिखित पर लागू होंगे (क) पीएमएमएसवाई के तहत पहले से ही स्वीकृत वे जलाशय केज जिनके ऊपर जलाशय केज कल्चर से संबंधित इन संशोधित परिचालन दिशानिर्देशों को जारी करने की तारीख तक अनुमोदित केज कल्चर परियोजना के कार्यान्वयन में कोई व्यय नहीं किया गया है और (ख) इन संशोधित दिशानिर्देशों के जारी होने की तारीख से पीएमएमएसवाई के तहत स्वीकृत नए केज।

2. सागर मित्र की नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता, पारिश्रमिक, कर और एजेंसी शुल्क में रियायत

2.1 पीएमएमएसवाई में कुल 3477 सागर मित्रों को शामिल करने और समुद्री राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में प्रति तटीय मत्स्यन गांव में एक सागर मित्र तैनात करने की परिकल्पना की गई है, ताकि सौंपे गए कार्यों को पूरा किया जा सके जैसे (i) सरकार और मछुआरों के बीच इंटरफेस, (ii) विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों पर जागरूकता पैदा करना, (iii) भागीदारी को बढ़ावा देना, (iv) पकड़ी गई मछलियों के संबंध में डेटा संग्रह, (v) मत्स्य उत्पादन, मूल्य आदि पर जानकारी संकलित करना और (v) प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए मछुआरों को मोबिलाईज करना।

2.2 पीएमएमएसवाई के तहत सागर मित्र की नियुक्ति के लिए विद्यमान पात्रता मानदंड, शैक्षिक योग्यता एवं भुगतान किए जा रहे विभिन्न (डिप्रेंशियल) पारिश्रमिकों पर ध्यान दिया गया।

2.3 महाराष्ट्र और गुजरात जैसी कुछ राज्य सरकारों ने निर्धारित योग्यता में छूट और एजेंसी शुल्क प्रदान करने का अनुरोध किया है।

2.4 तटीय राज्यों से प्राप्त अनुरोधों के विवरण नीचे दिए गए हैं:

2.4.1 मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने अब तक पीएमएमएसवाई के तहत परिकल्पित 3477 सागर मित्रों में से कुल 2489 सागर मित्रों की नियुक्ति स्वीकृत दी है।

2.4.2 यह सूचित किया जाता है कि महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों में आउटसोर्सिंग एजेंसियां 15,000/माह/सागर मित्र के अनुमेय पारिश्रामिक के अलावा एजेंसी शुल्क की मांग कर रही हैं। इसके अलावा, प्रदान की गई सेवाओं पर @ 18% जीएसटी का व्यय भी शामिल है, ईपीएफ और ईएसआई शुल्क भी मासिक पारिश्रमिक से काटे जाते हैं।

2.4.3 निर्धारित शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं है और यहां तक कि स्नातक उम्मीदवार भी इस तरह के निर्धारित पारिश्रमिक पर नहीं आ रहे हैं।

2.4.4 चयनित उम्मीदवार अपनी उच्च योग्यता, कम पारिश्रमिक, वांछित आवास की अनुपलब्धता आदि के कारण मछुआरों के गांवों में रहने के इच्छुक नहीं हैं।

2.4.5 राज्य पीएमएमएसवाई के तहत वर्तमान निर्धारित आवश्यक योग्यता में परिवर्तन की मांग कर रहे हैं, प्रक्रिया को संशोधित करने के लिए भी ताकि बेहतर परिणाम प्राप्त करने हेतु स्थानीय मछुआरा समुदाय से ही उम्मीदवारों को शामिल किया जा सके यह भी कि, जीएसटी के भुगतान के लिए प्रावधान शामिल किए जाएँ, तो एजेंसी शुल्क और यदि आऊटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से सागर मित्र को नियुक्त किया

जाता है तो ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. जैसे वैधानिक योगदान के लिए भी प्रावधान जो मासिक पीरिश्रामिक के अतिरिक्त होगा।

2.4.6 तटीय राज्य सरकारों से प्राप्त अनुरोधों/मांगों पर विचार किया गया है और पीएमएमएसवाई की केंद्रीय शीर्ष समिति (सीएसी) की सिफारिश के आधार पर और सागर मित्र के बेहतर परिणामों/आउटकम एवं सुचारू कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन एतद्द्वारा सूचित किया जाता है।

2.4.6.1 सागर मित्र के लिए विज्ञान (साइंस) स्ट्रीम से 12वीं पास न्यूनतम आवश्यक योग्यता निर्धारित। हालांकि, इससे उच्च योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी।

2.4.6.2 स्थानीय तटवर्ती मछुआरा गांव के व्यक्तियों को वरीयता दी जाए।

2.4.6.3 महिला उम्मीदवारों को वरीयता दी जाए।

2.4.6.4 स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार गाँव की स्थानीय मछुआरा सहकारी समिति / सीधी नियुक्ति / आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से सागर मित्र को नियुक्त किया जा सकता है। उपयुक्त योग्यता आधारित (मेरिट बेस्ड) चयन पद्धति को अपनाया जा सकता है।

2.4.6.5 सभी सागर मित्रों के लिए एक समान पारिश्रमिक/मानदेय निर्धारित करते हुए प्रति सागर मित्र प्रति माह 15000 रु/- का निर्धारण।

2.4.6.6 सागर मित्रों की नियुक्ति विशुद्ध रूप से अंशकालिक आधार पर होगी, और उन्हें उपरोक्त पैरा-2.4.1.6.5 में निर्धारित अनुसार मानदेय का भुगतान किया जाएगा।

2.4.6.7 डेटा प्रविष्टि के लिए एक केंद्रीय ऐप विकसित किया जाए और डेटा प्रविष्टि सागर मित्र द्वारा स्मार्ट फोन के माध्यम से किया जा सकता है। निर्धारित मानदेय के अतिरिक्त मोबाइल फोन उपयोग के भत्ते के रूप में प्रति माह सागर मित्र को राशि का भुगतान किया जाए जो 300 रु/- से अधिक न हो ।

2.4.6.8 सागर मित्र के रूप में नियुक्त उम्मीदवारों के लिए 2 सप्ताह की अवधि के लिए त्रैमासिक आधार पर गहन प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।

2.4.6.9 राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी) सागर मित्रों के लिए शीघ्र प्रशिक्षण कैलेंडर और प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करेगा और 31 मार्च 2023 के भीतर इसे लागू करेगा।

2.4.6.10 एजेंसी को सेवा शुल्क का भुगतान प्रति अभ्यर्थी के लिए निर्धारित मानदेय के 1% तक की दर से

2.4.6.11 प्रति उम्मीदवार निर्धारित मानदेय के अतिरिक्त केंद्र और राज्य जीएसटी का भुगतान।

2.4.6.12 प्रति उम्मीदवार निर्धारित मानदेय के अतिरिक्त ईपीएफ और ईएसआई योगदान/ भुगतान के लिए की गई कटौती का भुगतान ।

2.4.6.13 सागर मित्रों को एक निश्चित मानदेय/पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है और उनकी नियुक्ति पीएमएमएसवाई योजना के साथ समाप्त हो जाती है और अब इसे अंशकालिक कार्य के रूप में भी स्वीकृत किया गया है, अत: उनकी नियुक्ति नियमित रोजगार के दायरे में नहीं आ सकती है। इसलिए, ईपीएफ और ईएसआई अंशदान/भुगतान के रूप में कटौती करते समय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र यह सुनिश्चित करेंगे कि ये भुगतान इस तरह के संविदात्मक/अंशकालिक अनुबंध के लिए बिल्कुल आवश्यक और अनिवार्य है। इस उद्देश्य के लिए पीएमएमएसवाई के तहत फंड केवल विशिष्ट प्रस्ताव और आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य/प्रमाण के साथ समर्थित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सिफारिशों के आधार पर जारी किया जाएगा।

3 पीएमएमएसवाई के तहत बड़े पुनःसंचारी जलीय कृषि प्रणाली (री-सर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम) के लिए सब्सिडी पैटर्न में संशोधन

3.1 पीएमएमएसवाई में 275 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 5 वर्षों के लिए 550 बड़े आरएएस की स्थापना की परिकल्पना की गई है। तथापि, पी.एम.एम.एस.वाई. के कार्यान्वयन के दो वर्षों के भीतर परिकल्पित लक्ष्य की प्राप्ति कर ली गई। हालांकि, जैसा कि राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों से देखा जा सकता है, अभी भी बड़े आरएएस की स्थापना के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से बहुत अधिक मांग है।

3.2 यह देखा गया है कि पीएमएमएसवाई के तहत, आरएएस आधुनिक तकनीक के समावेश और मत्स्य उत्पादन के लिए जल और भूमि की बचत के रूप में महत्वपूर्ण घटकों में से एक है और इसलिए सब्सिडी की घटी हुई राशि के बावजूद बड़े आरएएस को बढ़ावा देना जारी रखना आवश्यक है।

3.3 तदनुसार, बड़े आरएएस के लिए सब्सिडी पैटर्न में संशोधन के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन निम्नानुसार सूचित किया जाता है:

3.3.1 यूनिट की लागत को 50 लाख रु/- पर स्थिर रखते हुए संबंधित इनफ्रास्ट्रक्चर सहित 8 टैंक जिनकी विशिष्टा (स्पेसिफिकेशन) 90 क्यूबिक मीटर (90 m^3) है बड़े आरएएस के लिए सब्सिडी पैटर्न सामान्य वर्ग और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए इकाई लागत के विद्यमान 40% और 60% से घटाकर सामान्य वर्ग के लिए इकाई लागत का 20% और अनु.जाति/अनु.जनजाति/महिलाओं के लिए इकाई लागत का 25% कर दिया गया है।

3.3.2 हालांकि, यदि कोई ऋण बड़ी आरएएस परियोजना के वित्तपोषण के लिए लिया गया है तो, यह सिफारिश की जाती है कि बड़े आरएएस लाभार्थी, पीएमएमएसवाई के तहत 20% या 25% की पूर्वोक्त संशोधित सब्सिडी के अलावा, ऋण के लिए मात्स्यिकी और जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि/फिशरीज एण्ड एक्वाकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (एफआईडीएफ) के तहत और एफ.आई.डी.एफ. मानदण्डों की पूर्ति के अधीन ब्याज सबवेंशन का लाभ भी उठा सकते हैं। तथापि, पीएमएमएसवाई और एफआईडीएफ दोनों से संचयी सहायता पीएमएमएसवाई योजना के तहत परिकल्पित अनुसार सामान्य श्रेणी के लिए परियोजना लागत के 40% और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / महिलाओं के लिए परियोजना लागत के 60% से अधिक नहीं होगी।

4 प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) के केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) घटक के अंतर्गत "एकीकृत आधुनिक तटीय मत्स्यन गांवों" (आईएमसीएफवी) गतिविधि के तहत एक उप-घटक-गतिविधि "आर्टीफिशियल रीफस और सी रैंचिंग के माध्यम से स्थायी मात्स्यिकी और आजीविका को बढ़ावा देना" शामिल किया गया।

4.1 यह देखा गया है कि इनशोर कोस्टल वाटर्स का एमएसवाई स्तर तक दोहन किया गया है और ऑफशोर क्षेत्र पर दबाव भी बढ़ रहा है। व्यावसायिक रूप से उपयोग करने योग्य मत्स्य कोनटिनेनटल शेल्फ्स में निवास करती हैं, लेकिन अधिकांश शेल्फ क्षेत्र अनुपजाऊ रेत या कीचड़ (गीली मिट्टी) के तल के होते हैं। कोरल रीफस और रॉक आउटक्रॉप्स उत्पादक मत्स्य स्थल हैं, लेकिन भारतीय तट पर सीमित क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं।

4.2 यह देखते हुए कि लाखों छोटे मछुआरों की आजीविका मरीन इन-शोर (कोस्टल फिशरीस) पर निर्भर करती है, यह आवश्यक महसूस किया गया है कि मरीन इन-शोर (कोस्टल फिशरीस) में मत्स्य भंडार की स्थिति में सुधार किया जाए ताकि निर्भर मछुआरों की आजीविका की रक्षा की जा सके। यह न केवल छोटे मछुआरों के लिए कैच की मात्रा में सुधार करेगा बल्कि मछुआरों के समय और ईंधन में भी बचत होगी।

4.3 तटीय मात्स्यिकी में सुधार के लिए भारत सरकार के मत्स्यपालन विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही वर्तमान रणनीतियों में मत्स्यन पर प्रतिबंध, तटवर्ती क्षेत्रों में मशीनीकृत नावों द्वारा मत्स्यन पर प्रतिबंध और कुछ प्रकार की मत्स्यन गियर पर प्रतिबंध / नियमन जैसे विनियमन उपायों की एक श्रृंखला शामिल है। हालांकि, इसे सकारात्मक हस्तक्षेप के साथ पूरक करने की आवश्यकता है जैसे कि आर्टीफिशियल रीफस का निर्माण और सी रेंचिंग गतिविधियों को बढ़ावा देना जो मत्स्य भंडार के पुनर्निर्माण और तटवर्ती/तटीय मात्स्यिकी में स्थिरता को बढ़ावा देने में मदद करेगा।

4.4 अतः मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के तहत "एकीकृत आधुनिक तटीय मत्स्यन गांवों (आईएमसीएफवी)" गतिविधि के तहत एक उप-गतिविधि के रूप में "आर्टीफिशियल रीफस और सी रैंचिंग के माध्यम से स्थायी मात्स्यिकी और आजीविका को बढ़ावा देने" को शामिल करने का निर्णय लिया गया। अनुमोदित उप-घटक का विवरण अनुवर्ती पैराग्राफ में दिया गया है।

आरटीफिशियल रीफस

4.5 सीएसी ने यह ध्यान दिया है कि आरटीफिशियल रीफस मानव निर्मित या प्राकृतिक वस्तुएं हैं जिन्हें समुद्र परिवेश के चयनित क्षेत्रों में ठोस और खुरदुरा तल का हैबिटेट प्रदान करने या सुधारने के लिए रखा जाता है और इस तरह मनुष्य के लिए कुछ मूल्यवान मत्स्यों की उत्पादकता और पैदावार में वृद्धि होती है। वे मत्स्यों और अन्य समुद्री जीवों के लिए भोजन, आश्रय और प्रजनन गतिविधियों के लिए उपलब्ध क्षेत्र में वृद्धि करके प्रजनन गतिविधि और छोटे मत्स्यों की उत्तरजीविता (सरवाईवल) को बढ़ाकर समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता बढ़ाने में मदद करते हैं।

4.6 आरटीफिशियल हैबिटेट का निर्माण मत्स्यों को आकर्षित करेगा और जिन क्षेत्रों में उन्हें स्थापित किया गया है वे पोटेंशियल फिशिंग जोन के रूप में काम करेंगे। यह मछुआरों के लिए एक बहुत अच्छी आजीविका गतिविधि है, क्योंकि आरटीफिशियल रीफस वाली जमीन अच्छी मत्स्य कैच का आश्वासन देती हैं। मछली

पकड़ने के लिए स्थलों की खोज के लिए ईंधन और समय की बर्बादी से बचा जा सकता है, जिससे मछुआरों के लिए मत्स्यन गतिविधि किफायती हो जाएगी।

4.7 यह देखा गया है कि जैविक संसाधनों को बढ़ाने और तटीय (मात्स्यिकी) के विकास के लिए दुनिया भर के विभिन्न देशों द्वारा आरटीफिशियल रीफ्स की स्थापना करने को बढ़ावा दिया गया है। यूएसए, चीन, जापान आदि जैसे देशों ने कई वर्षों में सफलतापूर्वक यह गतिविधि की है। यह उल्लेख करना उचित है कि अतीत में उन्नत मत्स्य प्रबंधन व्यवस्था वाले जापान जैसे देशों ने भी अपने तटीय जल में मत्स्य भंडार में गिरावट देखी है। हालांकि, पिछले चार दशकों के दौरान, जापान ने आरटीफिशियल रीफस स्थापित करके और सी रैंचिंग कार्यक्रमों के तहत मत्स्य भंडार के पुनर्निर्माण के लिए उपचारात्मक कदम उठाए हैं। जापान के प्रयासों के परिणामस्वरूप उनके तटीय मात्स्यिकी का कायाकल्प हुआ। पिछले चार दशकों के दौरान, आईसीएआर-सीएमएफआरआई की मदद से तमिलनाडु सरकार सकारात्मक परिणामों के साथ अपने तटीय जल में आरटीफिशियल रीफस की स्थापना कर रही है। तमिलनाडु ने बताया कि लाभ तेजी से दिखाई दे रहे हैं और मछुआरा समुदाय मत्स्य भंडार बढ़ाने के उपाय के रूप में राज्य में अधिक रीफस की स्थापना का स्वागत कर रहा है। तमिलनाडु सरकार के अनुभव से पता चलता है कि आरटीफिशियल रीफस लगाना पारंपरिक मछुआरों के लिए सहायक है क्योंकि बढ़े हुए समुद्री मात्स्यिकी संसाधनों के कारण वे बहुत ज्यादा समय और ऊर्जा लगाए बिना मत्स्य भंडार का उपयोग कर सकते हैं।

सी रैंचिंग:

4.8 सी रैंचिंग या ओशन रैंचिंग समुद्र को फिर से मत्स्य स्टाक से भरने के लिए कृत्रिम रूप से नियंत्रित स्थितियों के तहत मत्स्य और शेलफिश का पालन है। यह एक अवधारणा है, जिसमें मत्स्य जो कि व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण है और जिनके स्टॉक को भरने की आवश्यकता है उन्हें एक नियंत्रित वातावरण में पाला जाता है और जब वे एक निश्चित आकार की होती हैं तो उन्हें समुद्र में छोड़ दिया जाता है।

4.9 सी रैंचिंग तकनीक में ब्रूड स्टॉक डेवलेपमेंट, प्रजनन, बड़े पैमाने पर लार्वा पालन, नर्सरी रियरिंग, उपयुक्त स्थलों पर बीज को छोड़ना और प्रभाव का आकलन करने के लिए जारी बीजों और प्राकृतिक भंडार की निगरानी शामिल है।

4.10 तटीय मत्स्यन गांवों में उनके एकीकृत विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधियों को शुरू करने के लिए पीएमएमएसवाई के तहत "एकीकृत आधुनिक तटीय मत्स्यन गांव" गतिविधि को मंजूरी दी गई है और यह टिकाऊ मात्स्यिकी के लिए प्रत्येक गांव में की जाने वाली उप-गतिविधियों की प्रकृति के संबंध में लचीलापन प्रदान करता है। एकीकृत आधुनिक तटीय मत्स्यन गाँव के तहत, बड़े पैमाने पर लाभ को ध्यान में रखते हुए आरटीफिशियल रीफस और सी रैंचिंग की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप तटीय गाँव समुदायों की स्थायी आजीविका में सहायता के लिए मत्स्य कैच में वृद्धि होगी।

4.11 प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) घटक के तहत "एकीकृत आधुनिक तटीय मत्स्यन गांवों" (आईएमसीएफवी) गतिविधि के तहत "आरटीफिशियल रीफस और सी रैंचिंग के माध्यम से स्थायी मात्स्यिकी और आजीविका को बढ़ावा देने" पर उप-गतिविधि को शामिल करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी एतदद्वारा सूचित की जाती है जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

4.11.1 3477 तटीय मत्स्यन गांवों में से 1200 तटीय मत्स्यन गांवों में लगभग 1200 आरटीफिशियल रीफस विकसित करना।

4.11.2 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं को स्व-निहित प्रस्तावों/सेल्फ कंटेन्ड प्रोपोसल (एससीपी) या विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) द्वारा मामला-दर-मामला आधार पर अनुमोदित किया जाएगा।

4.11.3 राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश आरटीफिशियल रीफस और सी रैंचिंग की स्थापना के लिए संभावना वाले मत्स्यन गांवों और स्थानों की पहचान करेंगे।

4.11.4 मुख्य गतिविधि के लिए आई.एम.सी.एफ.वी. में चुने गए गाँव, इस उप गतिविधि के लिए भी चुने जाने के लिए प्रस्ताव हो सकते हैं अथवा भिन्न हो सकते हैं।

4.11.5 राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश आवश्यक सर्वेक्षण, इंजीनियरिंग जांच, उपयुक्त और संभावित स्थलों के चयन, आरटीफिशियल रीफस के डिजाइन (ब्लॉक के आकार और आयाम, प्रति आरटीफिशियल रीफस की संख्या और थोक मात्रा आदि) प्रस्तावों का निर्माण और कार्यान्वयन के लिए मत्स्य संस्थानों और अन्य विशेषज्ञ संगठनों की सहायता ले सकते हैं।

4.11.6 परियोजना प्रस्ताव मौजूदा राज्य एसओआर और/या पीएमएमएसवाई के परिचालन दिशानिर्देशों में निर्धारित तरीके से तैयार किया जा सकता है।

4.11.7 विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डीपीआर) और सेल्फ कन्टेन्ड प्रपोजल (एससीपी) में संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा आरटीफिशियल रीफस के नियमित रखरखाव, प्रबंधन और मूल्यांकन की रणनीति भी शामिल होगी। इसके अलावा, डीपीआर/एससीपी में आरटीफिशियल रीफस और सी रैंचिंग गतिविधियों के प्रभाव का आकलन करने के लिए उनके निर्माण/कार्यान्वयन के बाद की रणनीति भी शामिल होगी।

4.11.8 पीएमएमएसवाई के तहत परिकल्पित लगभग 100 आईएमसीएफबी के लिए, प्रति आईएमसीएफबी के लिए 7.5 करोड़ रुपये की दर से निर्धारित 750 करोड़ में से लगभग 372 करोड़ रुपये आरटीफिशियल रीफस के लिए और 28 करोड़ रुपये सी रेंचिंग के लिए निर्धारित करने की सिफारिश की गई थी।

4.11.9 यह देखा गया है कि 400 क्यूबिक मीटर थोक मात्रा के साथ 250 रीफ इकाइयों की एक आरटीफिशियल रीफस की अस्थायी इकाई लागत लगभग 31 लाख रुपये है, जिसमें सर्वेक्षण और प्रभाव अध्ययन और प्रशासनिक खर्च शामिल हैं। जैसा कि तमिलनाडु के अनुभवों पर आधारित है सीएसी ने यह भी देखा कि वास्तविक इकाई लागत साइट की स्थिति, परियोजना स्थान, चयनित परियोजना स्थान (तरंगें, ज्वार और करेंट) पर हाइड्रोलिक पैरामीटर, आरटीफिशियल रीफस में

उपयोग किए जाने वाले ब्लॉकों के आकार,मॉडल, निर्माण सामाग्री प्रत्येक आरटीफिशियल रीफ की थोक मात्रा आदि पर निर्भर करती है। अतः सीएसी ने सिफारिश की, कि प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए वास्तविक इकाई लागत का निर्णय उनके परियोजना प्रस्तावों को अनुमोदित करते समय उनके द्वारा प्रस्तुत एससीपी/डीपीआर से किया जाए

4.11.10 पीएमएमएसवाई के तहत सी रैंचिंग को भी एससीपी/डीपीआर के आधार पर मंजूरी दी जाएगी।

4.11.11 सहमत होते हुए कि इन दो उप-गतिविधियों को सीएसएस-पीएमएमएसवाई की "एकीकृत आधुनिक तटीय मत्स्यन गांवों" (आईएमसीएफवी) गतिविधि के तहत डीपीआर/एससीपी आधार पर लागू किया जाएगा, यह भी निर्णय लिया गया है कि मत्स्यपालन विभाग "एकीकृत आधुनिक तटीय मत्स्यन गाँवों (आई.एम.सी.एफ.बी.) की गतिविधि के विद्यमान नियमों और शर्तों को उपयुक्त रूप से संशोधित करेगा ताकि उल्लिखित दो उप-गतिविधियों को उनके कार्यान्वयन के तरीके के साथ-साथ शामिल किया जा सके और पी.एम.एम.एस.वाई. के परियोजना दिशानिर्देशों के तहत आई.एम.सी.एफ.बी. गतिविधि के संदर्भ में संशोधित समेकित एस.ओ.पी./निबंधन एवं शर्तें जारी की जाएँ।

(शंकर एल)
संयुक्त आयुक्त (मात्स्यिकी)
टेलीः 011-23389212